सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

"बी" बिंग, छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

File No- Review/07/JH(Dist.-Seraikela Kharsawan)/2024-Coord.

दिनांक 06 अगस्त, 2024 को झारखंड राज्य के सरायकेला-खरसावाँ जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा किए गए दौरे की समीक्षा रिपोर्ट।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/07/JH(Dist-SaraikelaKharsawan)/2024-Coord (Computer No. 24547)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:02 pm

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री पी. के. दास	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव
3.	श्री राहुल	अन्वेषक
4.	श्री सुभाशीष सोरेन	विधिक सलाहकार
5.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार

दिनांक 06 अगस्त, 2024 को झारखंड राज्य के सरायकेला-खरसावाँ जिले मे छात्रावासों का दौरा, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और पूर्वी सिंहभूम जिले के पदाधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं।

1: अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, सरायकेला-खरसावाँ, झारखण्ड

सुबह 10.30 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आयोग की टीम के साथ छात्रावास का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया|

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

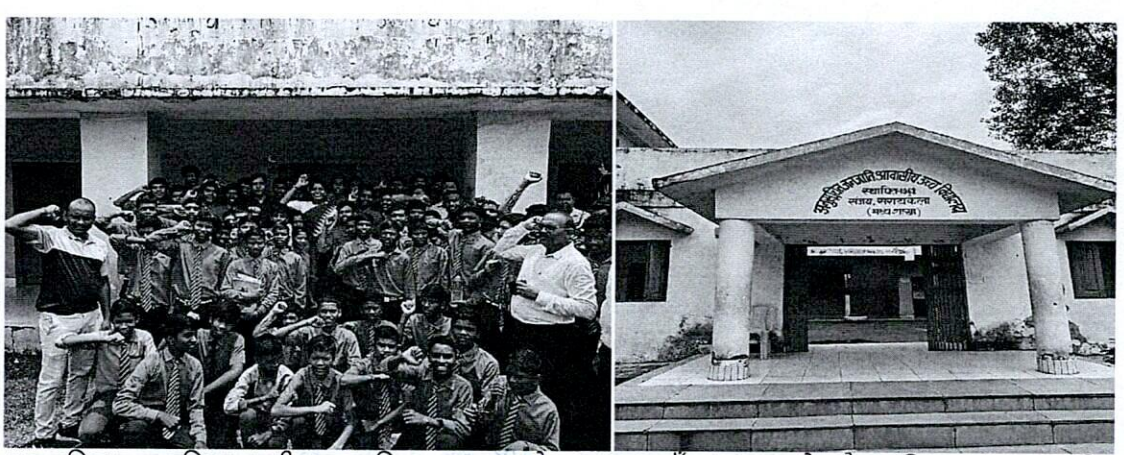

अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, सरायकेला-खरसावाँ, झारखण्ड के दौरान लिया गया छाया-चित्र

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

File No. Review/07/JH(Dist-SaraikelaKharsawan)/2024-Coord (Computer No. 24547)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/07/2025 05:02 pm.

विद्यालय दो भवनों में कार्यरत है, जिसमें एक भवन में कक्षा 1 से 6 और दूसरे भवन में 7 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि कक्षा 1 से 6 में 88 छात्र हैं और कक्षा 7 से 10 में 149 छात्र वर्तमान में हैं। विद्यालय और आवासीय परिसर में सफाई की कमी और भोजन क्षेत्र में भी सफाई की कमी देखी गई है। पीने के पानी और अन्य कार्यों के लिए पानी की समस्या है। छात्रों को वर्तमान में स्कूल की वर्दी नहीं मिली है, जबकि नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विद्यालय के भवनों के बीच की दूरी के कारण शिक्षकों को पढ़ाने और अन्य सभी कार्यों में समस्या होती है। उनका अनुरोध है कि दोनों भवनों को एक साथ कर दिया जाए।

2:अनुसूचित जनजाति समुदायों के सरायकेला-खरसावाँ, झारखण्ड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक |

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने वहां उपस्थित लोगों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन के निगरानी और मुल्यांकन में आयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने एन.सी.एस.टी के अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच करने और एस.टी समुदायों की शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई पर प्रकाश डालता है और सुनिश्चित करता है कि एस.टी समुदाय के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिका आयोग को सौंपी गयी । चर्चा के दौरान, डॉ. आशा लाकड़ा, माननीया सदस्य ने एस.टी समुदाय के सदस्यों और एसटी संघो के प्रतिनिधियों को एन.सी.एस.टी.ग्राम पोर्टल (www.ncstgrams.gov.in) के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एसटी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) के पास सीधे तौर पर दर्ज कर सकते है। उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई जिसमें सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी सेवाएँ प्रदान करने में स्थानीय बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दें की पहचान की गई जो निम्नानुसार है-

1. **राजनीतिक लाभ एवं भूमि बिक्री :-** गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों से विवाह कर उनके नाम से भूमि खरीद कर दुरुपयोग और अन्य राजनीति लोभों को प्राप्त कर अनुसूचित जनजाति लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा हैं।
2. **केंद्र सरकार आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:** केंद्र सरकार की आवासीय योजना के अंतर्गत दी गयी सुविधाओं का सही तरीके से अनुपालन न करना, महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है।
3. **बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन:** बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया।
4. **सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति:**

4.1 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है। शिक्षा विभाग को उपस्थिति की नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण ड्रॉपआउट की संख्या काफी बढ़ती जा रही है।

4.2 राजनगर प्रखण्ड के धुरिपाड़ा पंचायत के चक्रधरपुर गाँव उत्क्रमिक विद्यालय जर्जर हालत में है, कुचाई प्रखण्ड में आरुवान पंचायत के कुदरसाई गाँव में विधालय की छत कमजोर है और विधालय में मात्र एक शिक्षक है विद्यालय के सामने कोई ब्रेकर नहीं है जिसके छात्रों की सुरक्षा पर ख़तरा रहता है

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/07/JH(Dist-SaraikelaKharsawan)/2024-Coord (Computer No. 24547)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:02 pm

| सराइकेला प्रखण्ड में कलमपुर पंचायत के जोजो गाँव के प्राथमिक विधालय गाँव की बाउंड्री नहीं बनी है, खेल का मैदान नहीं है और विधायल में केवल 2 शिक्षक है |

5. **अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिलाओं का पंजीकरण और सुरक्षा:** मानव तस्करी के मामले (वूमेन ट्रैफिकिंग) काफी जिलो में है अन्य राज्यों में काम करने वाली अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिला के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की जाए। प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।
6. **अनुसूचित जनजाति की भूमि का हनन :-** जिले के दौरे के दौरान जमींन से सम्बन्धी कई मामले सामने आए है जिसमे से कई मामलो में लिखित शिकायत भी आयोग को प्राप्त हुई है जो एक बढ़ी संख्या में है यह एक गंभीर विषय है | जाहेरस्थान और श्मशान घाटों की घेराबंदी नहीं की जा रही है, जिसके कारण लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
7. **अन्य :** धर्मांतरण की समस्या झारखण्ड के सभी जिलों में बड़ती जा रही है, गैर –जनजाति के पुरुष से महिला विवाह कर जनजाति महिलाऐं आरक्षित पदों पर काबिज हो रही है | कुचाई प्रखण्ड के पंचायत आरुवान गाँव कतकत्ता में मुख्य सड़क से 1 की.मी. गाँव तक कोई सड़क नहीं है | खरसावां प्रखण्ड के रीडिंग पंचायत के कुडियासाई गाँव मुख्य मार्ग से 900 मी. तक कच्ची सड़क है | खरसावां प्रखण्ड के रीडिंग पंचायत के कलाईगोंडा 4 जल मीनार है जिन का पानी सब को नहीं मिल पता है | जिले में ऐसी पंचायत है जिनमे अनुसूचित जनजाति के लोग बहुल संख्या में है पर पंचायत का मुखिया गैर - अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित है | क्षेत्रीय भाषाओँ को बढ़ावा देने और सरकार का विशेष सहयोग के लिए आयोग से अनुरोध किया है |

3. अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सरायकेला-खरसावाँ जिला प्रशासन के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 06.08.2024 को डॉआशा लाकड़ा ., माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा समाहारणालय सभा कक्ष सरायकेला-खरसावाँ में बैठक की गई।

आरंभ में उपायुक्त ने डॉआशा लकड़ा ., माननीया सदस्य ,श्री पी ,दास.के.अनुसंधान अधिकारी, श्री राहुल श्री ,अन्वेषक ,सुभाशीष सोरेन विधिक सलाहकार ,श्री राहुल यादव ,विधिक सलाहकार ,का स्वागत किया। इसके बाद ,विभाग वार आधार-पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने डॉआशा लाकड़ा ., माननीय सदस्य, एनसीएसटी को अपना परिचय दिया। इन

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/07/JH(Dist-SaraikelaKharsawan)/2024-Coord (Computer No. 24547)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:02 pm

परिचयों के बाद आयोग ने सरायकेला-खरसावाँ जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का गहन समीक्षा किया। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करें।

अवलोकन और सिफारिशें-

जिले के उपायुक्त को 57 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जनसांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषय शामिल किए गए थे। जिला प्रशासन ने इस प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए हैं। निम्नलिखित टिप्पणियाँ और अनुशंसाएँ जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनसाइट तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई हैं।-

1. **पुलिस विभाग**:- सभी थाना प्रभारी एवं अनुंसधान प्रभारी को अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए | पुलिस कर्मी/पदाधिकारियों का पदोन्नति के लिए रोस्टर तैयार करने एवं जिन पुलिस कर्मी/पदाधिकारी का सेवा 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है उनको पदोन्नति देने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकते है | पुलिस कर्मियों को संवेदनशील मामलों में छुट्टी दिया जाना आवश्यक है। कुल थाना, अनुसूचित जनजाति/जाति थाना, पी0सी0आर0 वैन, गस्ती दल, थाने में पुलिस बल की उपलब्धता, अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध थाने में दर्ज मामले/अनुसूचित जनजातियों के द्वारा थाने में दर्ज कराये गये मामले एवं उक्त मामलों में चार्जशीट की स्थिति आयोग को प्रस्तुत करें | सभी थानों में SC/ST Atrocity Act केश दर्ज किए जा सकते है ।
2. **शिक्षा विभाग** :- प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों में अध्यनरत कुल छात्र/छात्राओं की संख्या एवं उनमें अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की संख्या, प्रखण्डवार/संकुलवार ड्राप आउट छात्रों की संख्या, आवासीय विद्यालयों की संख्या, स्थापना अनुमति/अनुदानित की संख्या आयोग को अवगत कराये | कई प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय ऐसे हैं जो मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित हैं। ऐसे विद्यालयों में वाहनों के लिए स्पीड-ब्रेकर नहीं है जिससे बच्चों के दुर्घटना होने से ख़तरा बना रहता है | एकल शिक्षक वाले विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए शिक्षकों का पदस्थापन किया जा सकता है | विद्यालयों में विद्यालय स्तर का खेल प्रतियोगिता, विज्ञान प्रतियोगिता नियमित रूप से किया जा सकता है |
   2.1 खरसावॉ प्रखण्ड के रिडिंग ग्राम में विद्यालय एवं सी0आर0पी0एफ0 कैम्प एक साथ संचालित होने की सूचना आयोग को प्राप्त हुई है। इससे छात्रों को अध्ययन कार्य में काफी परेशानी हो रही है। विद्यालय एवं कैम्प को अलग-अलग संचालित किया जा सकता है इसके सम्बन्ध में आयोग को जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें | प्रखण्डवार संचालित सभी कोटि के विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों का अलग-अलग (अनुसूचित जनजाति /जाति एवं छात्र /छात्रों से सम्बंधित) आकड़े तैयार कर आयोग को उपलब्ध कराए |
   2.2 ड्राप आउट छात्रों को संकुल स्तर पर नामांकन कराते हुए विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इन्टर स्तर पर छात्रों को पर्सनलिटि डेवलेपमेन्ट, स्कील डेवलेपमेन्ट दिये जा सकता है ।आवासीय विद्यालयों को समय पर पोशाक, किताब-कॉपी दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। संकुल स्तर पर खेल यथा-फुटबॉल, हॉकी, खो-खो आदि का आयोजन समय-समय पर नियमित रूप से किया जा सकता है। जर्जर विद्यालयों को चिन्हित करते हुए आवश्यकतानुसार उनका मरम्मति/जीर्णोद्धार कार्य कराया जाए । केन्द्र एवं राज्य सरकार की राशि का विद्यालय स्तर पर समुचित उपयोग करने पर बल दिया गया। भवनहीन विद्यालयों, 10-15 कि0मी0 के दायरे में जहाँ विद्यालय संचालित नहीं है उसका प्रस्ताव आगे भेज और आयोग को भी सूचित करें |
3. **आपूर्ति विभाग :- :-** जिले में कुल कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है और उनमें अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। अनुसूचित जनजाति के कुल कितने सदस्यों का राशन कार्ड बना है, इसके संबंधित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें। आगामी दुर्गापूजा, छठ आदि त्योहारों के पूर्व सभी कार्डधारियों को समय पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि पर्व-

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/07/JH(Dist-SaraikelaKharsawan)/2024-Coord (Computer No. 24547)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:02 pm

त्योहार में किसी को असुविधा न हो। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा कार्डधारियों को मात्र से कम राशन दिया जा रहा है। इस विषय में संबंधित विभाग कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराए।

4. **पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल :-** कुचाई प्रखण्ड के पंचायत-अरूवॉ के ग्राम-छोटा अरूवॉ में 60 परिवार रहते हैं जिसमें से 08 परिवार को ही अबतक पेयजल की सुविधा मिल पायी है। शेष 52 परिवारों तक पेयजल नहीं मिला है। इस विषय में सम्बंधित विभाग कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराये|

5. **समाज कल्याण विभाग :-** जिले में CDPO एवं पर्यवेक्षक के सृजित पद की संख्या, कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, अपने भवन की स्थिति, और सामुदायिक भवन में चल रहे केंद्रों की संख्या को आयोग को अवगत कराएं। धात्री माताओं, गर्भवती महिलाओं, और बच्चों की संख्या, जिनमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या भी शामिल हो, की जानकारी दें। गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, और बच्चों को वितरित पोषाहार की जानकारी प्रस्तुत करें। ऐसे गांव और बस्तियों की पहचान करें जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और 30-35 परिवार रहते हैं। जिले में सेविका-सहायिका की संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविका-सहायिका का विवरण, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में विकसित करें। कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें। सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना के तहत शत-प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को अच्छादित कर आयोग को सूचित करें।

6. **ग्रामीण विकास विभाग** :- मनरेगा योजना के अंतर्गत कुल 230747 जॉब कार्ड निर्गत हैं, जिनमें 3918 गर्भवती और 158 दिव्यांग हैं, 50 वर्ष से ऊपर के 19 प्रतिशत व्यक्तियों को जॉब कार्ड निर्गत हैं; प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 23337 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 22882 पूर्ण हो चुके हैं; बाबासाहेब अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत 1807 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 710 अनुसूचित जनजाति के हैं और 603 पूर्ण हैं; अबुआ आवास योजना के तहत कुल 6437 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 6087 को प्रथम किस्त की राशि दी गई है और 3924 अनुसूचित जनजाति परिवार के हैं; बिरसा हरित ग्राम योजना का कुल लक्ष्य 4289 है, जिसमें से 2004 पूर्ण हैं; बिरसा कूप निर्माण योजना के अंतर्गत कुल 3065 लक्ष्य हैं, जिनमें से 1542 पूर्ण हैं; सभी का प्रखण्डवार विस्तृत विवरण आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जबकि कुकडू प्रखण्ड में 25, राजनगर प्रखण्ड में 31, सरायकेला प्रखण्ड में 37, नीमडीह प्रखण्ड में 45, गम्हरिया प्रखण्ड में 59, कुचाई प्रखण्ड में 23, और खरसावां प्रखण्ड में 22 खेल मैदान स्वीकृत हैं।

6.1 खेल के मैदानों के लिए वन भूमि से वनाधिकार अधिनियम के तहत् अनापत्ति निर्गत करने हेतु कार्रवाई कर सकते है|

7. **कलयाण विभाग :-** कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, द्वारा सूचित किया जाए की वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितने लाभार्थियों को साइकिल का वितरण किया जा चूका है और शेष कितने रहे गये है। छात्रावासो में से कुछ का दौरा किया गया था जिनकी समस्या ऊपर उल्लेखित है और अन्य में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को देखते हुए, समय समय पर-निरीक्षण और सुधार की जरूरत है और जिन छात्रावास की क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्रांए रहते है इनकी क्षमताओं में बढोत्तरी की जा सकती है ।

7.1 वितीय वर्ष-2022-23 एवं 2023-24 में कुल जाहेरस्थानों का घेराबन्दी एवं आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र धमकुड़िया माझी हाउस, मसना, हडगड़ी, बिरसा आवास, कब्रिस्तान घेराबन्दी, छात्रवृति से सम्बंधित आकड़े आयोग को प्रस्तुत करें | जवाहरनगर, मानगो में जाहेरस्थान घेराबन्दी नहीं होने के

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/07/JH(Dist-SaraikelaKharsawan)/2024-Coord (Computer No. 24547)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:02 pm

करण उक्त जमीन का अतिक्रमण किये जा रहा है। उक्त स्थल का घेराबन्दी करने की जरूरत है। अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित सभी योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन किया जा सकता है|

8. **स्वास्थ्य विभाग :-** जिले में कुल कितने स्वास्थय केन्द्र है। कुल डॉक्टरों का स्वीकृत पद के विरूध में वर्तमान कितने कार्यरत है। GNM ANM एवं सहिया तथा आस्था र्वकर उक्त सभी का प्रतिवेदन Male/Female साथ ही उसमें से अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मी है कि प्रतिवदेन आयोग को उपलब्ध कराए । साथ ही जिले में कुल कितने व्यक्तियों को आर्य आन योजना अंतर्गत लाभ पहुँचाया गया है। जिसमें से ST.SC,BC, MINO कोटिवार आकड़ा उपलब्ध कराये ।

   8.1 सिकल सेल एनिमिया का प्रत्येक पंचायत स्तर पर विशेष कर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में मेगा कैम्प का आयोजन कराते हुए एनिमिया की जाँच एवं उपचार कराना हैं। स्थानीय अखबार में प्रतिदिन के ओ0पी0डी0 का समय एवं प्रतिनियुक्ति स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम आदि प्रचारित किया जाना चाहिए जिससे आमलोंगो को विशेषज्ञ चिकित्सकों के ईलाज का लाभ प्राप्त हो सके। स्थानीय बाजार के दिन सभी चिकित्सकों को मुख्यालय में ही रहने हेतु अपने स्तर से संसूचित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक माह मेगा चिकित्सा जाँच शिविर का आयोजन किया जाए तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्रशिक्षित किया जाए जो स्थानीय लोगों को चिकित्सा से संबंधित योजनाओं के बारे में सुलभ रूप से जानकारी दे सके तथा उनकी समस्याओं का निदान करा सके।

9. **कृषि विभाग :-** जिले के कृषि योग्य भूमि, परती भूमि, धान का विवरण, दलहन का विवरण आयोग को प्रस्तुत करें । रवि फसल के लिए क्या तैयारी कृषि विभाग द्वारा की गई है इसकी जानकारी आयोग को दि जाए|

10. **गव्य विभाग** : सुअर पालन एवं बकरी पालन में अधिकतर संख्या में जीव मर जाता है ऐसे पशुओं का वितरण किया जाए जो स्थानीय नस्ल के हों और पर्यावरण के अनुकूल हों।

11. **वन विभाग :-** कितने रेंज हैं, वन क्षेत्रफल कितना है जिला में रेंज पदाधिकारियों की संख्या कितनी हैं संबंधित वन क्षेत्रों में वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन पट्टे की संख्या कितनी हैं प्रति व्यक्ति कितना व्यक्तिगत वन पट्टा दिया जाता है कितना हेक्टेयर/ऐकड़ भूमि का वितरण किया गया है उक्त सभी बिन्दुओं से संबंधित एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आयोग को उपलब्ध कराएं|

12. **मत्सय विभाग :-** कितना बंदोबस्ती हुआ है और विभाग द्वारा लोगों को किन-किन योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है आयोग को अवगत कराएं|

13. **विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल :-** प्रोपर लोडिंग के बाद ही बिल भेजना है। अभी भी जिले के 49 विभिन्न टोलों/कस्बों विद्युत व्यवस्था नहीं हो सकी है। उनके द्वारा खरसावॉ, रिडिंग, चैनपुर, रोवर में बिजली नहीं होने के बारे में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें । कार्यपालक अभियंता को इस संबंध में स्वंय जाँच करने तथा सभी कस्बों एवं टोलों में बिजली पहुँचाने के बारे में आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

14. **भू-अर्जन विभाग** -विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी परियोजनाओं/योजनाओं में जिनको मुआवजा नहीं मिला है उन पर कार्रवाई कर आयोग को प्रस्तुत करें ।कुचाई प्रखण्ड के अरूवॉ, केरकेटटा/सरायकेला के कुदरसाई एवं पोडाडीह/गम्हरिया पंचदुगनी आदि में विभिन्न परियोजनाओं का मुआवजा राशि का भुगतान लंबित है। इन योजनाओं का कार्य प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें ।

15. **अन्य :-** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और पिछड़ी जाति के छात्रावासों का सफल संचालन सुनिश्चित करने, आवश्यकतानुसार वर्किंग वीमेन हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल, और स्कूल हॉस्टल के प्रस्ताव आयोग को भेजने, कल्याण विभागीय विद्यालयों की मरम्मत और दैनिक सामग्री की समय पर आपूर्ति कर सकते है | सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच सके। सरायकेला प्रखण्ड के ग्राम-तितिरबिला में अनुसूचित जनजाति के रैयतों को पथ निर्माण हेतु जमीन मुआवजे के रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले का समाधान करें|

16. जिला स्तर पर एक **आतंरिक शिकायत सेल (Internal Grievance Cell)** गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की प्रतिनियुक्ति करें, और जिससे छोटे-मोटे शिकायत

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सकें, ऐसे मामले आयोग के पास न पहुँचे, संज्ञान में न आयें, ध्यान रखने की आवश्यकता हैं।

जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

16/10/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi